

न्यायालय समाहर्ता –सह– जिला दण्डाधिकारी, बक्सर  
(विधि शाखा)

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की  
नीलामी शुद्धिपत्र

बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत राज्यसात वाहनों की सार्वजनिक नीलामी हेतु दिनांक 28.12.2020 को तिथि निर्धारित कर नीलामी सूचना का प्रकाश कराया गया है, जिसके क्रमांक 55 पर अंकित उत्पाद वाद सं०-117(O)2019 में वाहन सं०-BR-44J-2056 के स्थान पर BR-44F-2056 अंकित हो गया है, को निम्नरूपेण संशोधित पढ़ा जाय :-


क्र०	थाना काण्ड सं०	वाद सं०	वाहन का प्रकार	निबंधन सं०	वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य	अग्रधन की राशि (10%)
55	उत्पाद 117(O)/2019	114/2019	पैशन प्रो० मोटर साईकिल	BR-44J-2056	28000	2800

नीलामी की सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक XXI-29/2020-06-1517 /विधि०, दिनांक 10/12/2020

- प्रतिलिपि:- डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, बक्सर एवं आई०टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- उत्पाद अधीक्षक –सह– सचिव, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी –सह– सदस्य, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।